for SC/ST and OBC candidates in teaching posts particularly for the posts of Readers and Professors in the institutes of higher education;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of the directors given by Government to UGC to remove this disparity?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and *(b)According to the information furnished* by the University Grants Commission, the Commission has considered the issue of reservation to the posts of Professors and Readers, at its meeting held on 30th August, 1994. The consensus of the Commission was not in favour of the reservision for SC/STs to the posts of Readers and Professors. The Commission, however, agreed that reservation at the level of lecturer be continued.

(c) The Government has not given any directions to the UGC, in this regard, as the Government Policy does not provide for reservation beyond the pay scale of Rs. 2200—4000.

मंत्रालय द्वारा खरीदी गई पुस्तकें

4095. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विभागों, संस्थाओं और निगमों में पुस्तकें, खरीदी जाती हैं;

(ख) क्या इस संबंध में निश्चित मानदंड हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हिन्दी निदेशालय और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा कौन-कौन सी हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी विभाग, संस्थायें और निगमों को अपने-अपने कार्य के लिये कतिपय पुस्तकें खरीदनी होती है। तथापि, शिक्षा विभाग में भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिये पुस्तकों की खरीद के लिये योजनायें मुख्यतः निम्न प्रकार हैं:—

(i) हिन्दी भाषा में पुस्तकों की खरीद
—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रशासित

(ii) सिंधी भाषा में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रशासित

(iii) उर्दू भाषा में पुस्तकों की खरीद
—उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो द्वारा प्रशासित

(iv) अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान द्वारा प्रशासित

(v) आधुनिक भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की खरीद

—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रशासित

(vi) संस्कृत/श्रेष्ठ भाषाओं में पुस्तकों की खरीद

—राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रशासित

इसके अतिरिक्त, संस्कृति विभाग में केन्द्रीय पुस्तक चयन योजना (अंग्रेजी और हिन्दी) है जिसका प्रशासन राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता द्वारा किया जाता है।

(ख) शिक्षा विभाग की योजनाओं के महत्वपूर्ण मानदंड निम्न प्रकार हैं:—

1. पुस्तकों (वाणिज्यिक प्रकाशनों को छोड़कर) की कापीराइट का अधिकार रखने वाले अलग-अलग लेखक/संपादक/

अनुवादक/स्वैच्छिक संगठन/विश्वविद्यालय आवेदन करने के लिये पात्र हैं ।

2. निम्नलिखित श्रेणी की पुस्तकें खरीद योग्य होती है:

(i) विश्वकोष, ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें, चयनिकायें तथा संकलन संदर्भ सूचियों और शब्दकोषों जैसी संदर्भ पुस्तकें;

(ii) दुर्लभ पांडुलिपिकों के वर्णनात्मक सूची-पत्र;

(iii) अन्य भाषा माध्यमों में लिखित किसी भाषा के लिये स्व-शिक्षक;

(iv) भाषा विज्ञान, साहित्य (कथा साहित्य, नाटक और काव्य तथा पी. एच.डी. और एम. फिल० इत्यादि के लिये प्रकाशित शोध ग्रंथ को छोड़कर) भारत विज्ञान, सामाजिक, नृ-विज्ञान और सांस्कृतिक विषयों पर मूल लेखन ।

(v) अनुवाद सहित अथवा अनुवाद रहित पुरानी पांडुलिपियों का समीक्षात्मक संपादन और/अथवा प्रकाशन ।

(vi) (iv) में उल्लिखित विषयों पर उन पुस्तकों का किसी भारतीय भाषा में अनुवाद और प्रकाशन, जो किसी अन्य भारतीय अथवा विदेशी भाषा में मूल रूप से प्रकाशित हो ।

(vii) किसी एक भारतीय भाषा से किसी दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद के साथ अथवा अनुवाद के बिना गौरव-ग्रंथों का प्रकाशन और प्रतिलिप्यांतरण ।

(viii) 30 साल से पहले प्रकाशित और जो छपी नही हैं ऐसी दुर्लभ पुस्तकों का पुनःमुद्रण/संशोधित संस्करण ।

(ix) किसी अन्य प्रकार का प्रकाशन जो पृथक रूप से स्वीकार किया जा सकता हो और जो किसी भारतीय भाषा की प्रोन्नति में सहायक हो ।

3. सामान्यतया किसी पुस्तक की 200 से अधिक प्रतियां नही खरीदी जाती है ।

जहां तक संस्कृति विभाग की योजना का संबंध है, केन्द्रीय पुस्तक चयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि :

1. पुस्तकों के चयन के लिये प्रशासनिक समिति द्वारा स्थापित एक पुस्तक चयन समिति होगी ।

2. सामान्यतया नमूना प्रतियों के आधार पर पुस्तकों का चयन किया जायेगा ।

3. पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं से अनुवाद (हिन्दी/अंग्रेजी) में खरीदी जायेंगी । किसी अन्य श्रेणी की पुस्तकों के लिये कोई अनुपात निर्धारित नहीं है ।

4. साधारणतया इन श्रेणियों की पुस्तकों का चयन नही किया जायेगा (i) विदेशी प्रकाशन (ii) पाठ्य पुस्तकें (iii) 500/– रुपये से अधिक मूल्य वाली पुस्तकें ।

5. उन पुस्तकों को प्राथमिकता दी जायेगी जो देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिये उपयोगी है ।

6. पुस्तकों का चयन साधारणतया उनके चयन के वर्ष सहित, पिछले 3 वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों तक सीमित होना चाहिये ।

7. प्रतिष्ठान से जुड़े हुये सदस्यों अथवा अधिकारियों द्वारा लिखित, संपादित, संकलित अथवा प्रकाशित पुस्तकों का सामान्य तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान चयन नही किया जा सकता ।

8. एक ही बार में एक बैठक में विचार करने के लिये किसी प्रकाशक की साधारणतः 20 पुस्तकों से अधिक स्वीकार नही की जायेंगी ।

9. एक पुस्तक, जो एक बैठक में नहीं चुनी जाती, उस पर सामान्यत: अनुवर्ती बैठक में विचार नहीं किया जायेगा ।

10. पुस्तकें प्रकाशकों/लिखकों से खरीदी जायेंगी ।

11. प्रतिष्ठान, पुस्तकें 20 प्रतिशत छूट पर खरीदेगा ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

Extinction of Traditional Arts

4096. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact tha the traditional arts of the country namely purppetery, magic, acrobatics etc. are near extinction and their performers are in bad shape;

(b) whether it is also a fact that these performers have won acclaim in foreign countries but leading a life of oblivion in their own country;

(c) whether Government have enquired into the causes of decay of these arts and bad shape of the artists; and

(d) if so, what steps Government are considering to revive these traditional arts and thereby benefit the artists?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) to (d) These performers generally participate in all major cultural festivals|melas in the country. The Department of Culture has two scheme for providing financial assistance to such artists. Under the scheme for financial assistance to professional groups and individuals for specified performing art projects grants are provided to puppeteers also. Under the Scheme of Financial Assistance for Promotion and Dissemination of Tribal|Folk Art and Culture, grants are also given.

The Seven Zonal Cultural Centres hold melas where such artists|puppeteers are invited. A scheme for documentation of all traditional and vanishing art forms has also been started by the Zonal Cultural Centres.

Sangeet Natak Akademi has a scheme of promotion and preservation of puppetery. Under the scheme, seminars and festivals of one particular form of puppetery are held in different parts of India where artists from all over the country assemble. The Akademi also give grants to traditional puppeteers for new productions and repeat performances. The Akademi envisages to give a common platform for the puppetery. Documentation of this particular form is also done by the Sangeet Natak Akademi.

नवोदय विद्यालय को योजना बजट के अधीन लाना

4097. श्री सुन्दर सिंह भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 12 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2528 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय को योजना-बजट के अन्तर्गत लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव/विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवोदय